उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग- 2

संख्या-12/2017/1385/94-स्टा0नि0-2-2017-700(265)/2016

लखनऊ, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 74 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी;

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 218 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 218 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान नियम 218	**संशोधित नियम- 218**
218- स्टाम्प अधिनियम में वापसी के प्राविधानों का संदर्भ, विशेष कठिनाई के मामले में समयावधि का निस्तारण बिगड़े स्टाम्पों के मूल्य की वापसी या नवीनीकरण स्टाम्प अधिनियम के अध्याय पांच की धारा-49 से 53 तक के प्राविधानों का कड़ाई से पालन कर किया जाना चाहिए और उसके लिए आवेदन धारा-50 में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परन्तु जब अधिनियम द्वारा वापसी या नवीनीकरण के	**218-** बिगड़े हुए स्टाम्पों के मूल्य की वापसी या नवीकरण, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अध्याय पांच की धारा-49 से 53 के अनुसार किया जायेगा। वापसी अथवा नवीकरण हेतु आवेदन, सहायक आयुक्त, स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक आयुक्त, स्टाम्प ऐसे बिगड़े या अनुपयोगी स्टाम्पों या ऐसे स्टाम्पों, जिनकी आवश्यकता नहीं है, की वापसी या नवीकरण के प्रकरण का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिए निर्धारित अवधि से विशेष गम्भीर कठिनाई उत्पन्न होती हो, और बिगड़े या अनुपयोगी स्टाम्पों या ऐसे स्टाम्पों के धारक जिनका तुरन्त कोई उपयोग नहीं हो, बिना किसी दुर्भावना के वापसी या नवीनीकरण का आवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करने में अपरिहार्य कारणों से असमर्थ रहें हों तो कलेक्टर बिगड़े या अनुपयोगी स्टाम्पों के मूल्य की वापसी या नवीनीकरण या ऐसे स्टाम्पों का जिनकी आवश्यकता नहीं है पुनर्क्रय करने के लिए अधिकृत किया जाता है बशर्ते कि वापसी या नवीनीकरण का आवेदन स्टाम्पों की खरीद के दो वर्ष के अंदर या उस तारीख से दो वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया जाए जिस दिन स्टाम्प बिगड़े या अनुपयोगी हो गये हों; परन्तु यह भी कि उपरोक्त परन्तुक में वर्णित प्रकार के मामलों में जिनमें दो वर्ष की अवधि समाप्त हो गई हो, राज्य सरकार बिना किसी समयावधि के ऐसे आवेदनों का निस्तारण कर सकती है।	निस्तारण करेगा, परन्तु यह कि वापसी का आवेदन, स्टाम्प के क्रय के दिनांक से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया हो। तथापि ऐसे स्टाम्प के क्रय के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किन्तु चार वर्ष की अवधि के भीतर, उपायुक्त, स्टाम्प द्वारा नवीकरण या वापसी के लिये अनुमोदन, प्रदान किया जा सकेगा। तथापि चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किन्तु आठ वर्ष के भीतर नवीकरण या वापसी, सरकार के अनुमोदन के पश्चात् की जा सकेगी। स्टाम्पों के क्रय के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि के पश्चात् कोई नवीकरण या वापसी नहीं की जायेगी। परन्तु यह और कि उपरोक्त नियम में उल्लिखित ऐसे मामलों में जिनमें दो वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी हो या जिनमें स्टाम्प दो वर्ष पूर्व क्रय किए गए हों और दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् ऐसे स्टाम्पों के मूल्य की वापसी या ऐसे स्टाम्पों, जिनकी आवश्यकता नहीं रह गयी है, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी, कोई भी आवेदन पत्र इस नियम में संशोधन किये जाने या इसके सरकारी अधिसूचना में प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा।

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2017/1385/94/स्टा०-नि०-2-2017-700(265)/2016, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 20-12-2017 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2017/1385/94/स्टा०-नि०-2-2017-700(265)/2016, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करते हुये कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत करायें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सदस्य/न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस नियमावली को शासन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.12/2017/1385/94-S.R.-2-2017-700(265)/2016, Dated 20 December, 2017 for general information.

Notification

Order

No.12/2017/1385/94-S.R.-2-2017-700(265)/2016

Lucknow, Dated, 20 December , 2017

In exercise of the powers under section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to make the following rules with a view to amending the U.P. Stamp Rules, 1942.

The Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Rules, 2017.

Short title and commencement

1-(1) These Rules may be called The Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 218.

2- In the U.P. Stamp Rules, 1942 for rule 218 setout in comumn-1 below the rule as setout in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing Rule 218**	**Column-2** **Amended Rule 218**
218-The refund or renewal of the value of spoiled stamps shall be made strictly in accordance with Section 49 to 53, Chapter V of the Stamp Act and application must be made within the periods prescribed by Section 50. But in cases where the period allowed by the Act for the refund or renewal has operated as a serious hardship and the holders of piled or useless stamps, or stamps not required for immediate use are,	**218-** The refund or renewal of the value of spoiled stamps shall be made in accordance with Section 49 to 53, Chapter V of the Stamp Act, 1899. The application for the refund or renewal should be presented before the Assistant Commissioner, Stamp. Assistant Commissioner, Stamp shall dispose the case of refund or renewal of spoiled or useless or such stamps which are not required, provided that the application for refund is presented

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

without any fraudulent motive, unavoidably prevented from applying for relief within the prescribed period, the collector is authorized to allow refund or renewal of spoiled or useless stamps, or the repurchase of stamps not required : Provided that the application for refund or renewal is made within two years from the date of purchase of the stamps or within two years from the date on which the stamps were spoiled or rendered useless. Provided further that the State Government may irrespective of any time limit, dispose of applications for relief in the cases contemplated in the above proviso, in which the period of two years has expired.	within two years from the date of purchase of the stamp. However after the expiry of two years but within a period of four years from the date of purchase of such stamp, the approval for renewal or refund may be granted by The Deputy Commissioner Stamp. However after the expiry of four years but within eight years the renewal or refund may be done after the approval of the Government. There shall be no renewal or refund after the period of eight years from the date of purchase of the stamps. Provided further that no application shall be accepted after the period of one year from the date of amendment in this rule or its publication in government notification in cases as mentioned in above rule, where the period of two years has expired or where the stamp is purchased two years ago and after the expiry of two years the action was to be taken by the state government regarding refund of the value of such stamp or the stamps which are not required.

By order,

Himanshu Kumar
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।